

09/02/23

उपरिष्ठ ज
साँधर लेक

पत्रावली पैरा 1 व मील प्रावीण उपस्थित
पत्रावली, पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज व न्याय
के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया।
बहस पर मन्तव्य किया गया। प्रा. पत्र धारा 131/136,
शु. राज. अधि., 1956 साक्षि होने पर स्वीकार किया
जाता है। यह नियम खुले न्यायालय में दुनाया गथा
विस्तृत नियम पृथक से टंकित करवाया जाकर शा. कि.
किया गया। इस हेतु तहसीलदार, कि-रेनवाल को
तहरीर जारी है। पत्रावली फौजल शुमार हो कर
नंबर से मम होकर दायित्व दफ्तर हो।



09/02/23

उपरिष्ठ अधिकारी
साँधर लेक